भाग पांच : खण् ड तीन

भू-राजः व संिहत की धारा 240(3) के अन् तगर्त बने कटाई के िनयम 1964

अिध. ब. 5262-3472 सात-ना-िनयम-िद. 28 िसतम् बर, 1964 द्वारा राज् य शासन ने धारा 240 की उपधारा (3) के अन् तगर्त िनम् निलिखत िनयम बनाये हैं -

िनयम

1. इन िनयमों में जब तक ूसंग से अन् यथा अपेिक्षत न हो -

(क) "संिहता" से तात् पयर् मध् यूदेश भूराजः व संिहता, 1959 (ब. 20, वषर् 1959) से है।

(ख) "वन" से तात् पयर् राजः व िवभाग के ूबन् ध के अधीन संरिक्षत अथवा आरिक्षत वनों के अितिरक् त शासकीय वन से है।

2. वन का ूबन् ध, माम के पटेल द्वारा माम के पटवारी तथा कोटवार की सहायता से राजः व िनरीक्षक तथा राजः व पदािधकािरयों के पयर्वेक्षण के अधीन िकया जायेगा।

3. वन से पूरी की जाने वाली िनः तार आवँ यकता तथा कटाई की संिहता की धारा 234 के अनुसार तथा ऐसे िनबर्न् धन के अधीन रहते हुए, िविनयिमत िकया जायेगा िजन् हें कलेक् टर ऐसे वनों के पिररक्षण के िहत में अिधरोिपत करें।

4. कलेक् टर ऐसे ूभारों को देनगी पर जो िक उसके द्वारा खण् डीय वन पदािधकारी (वन मण् डलािधकारी) के परामशर् से िनयत िकये जायेंगे, माम के िकसी भी िनवासी को उसकी िनः तार आवँ यकताओं के अितिरक् त, िकसी वन पैदावार को काटने तथा ले जाने की अनुज्ञा दे सकेगा। एक बार िनयत िकये ूभार तीन वषर् तक ूवृत् त रहेंगे।

5. लाख, हरार्, रूसा तेल, गोंद, इमारती लकड़ी तथा वािणिज्यक मूल् य की अन् य पैदावार, िजन पर उपयोग के अिधकार नहीं िदये गये हों, के िवबय की रीित, कलेक् टर द्वारा वन मण् डलािधकारी के परामशर् से अवधािरत की जायेगी। वन पैदावार की, उसे पास में लगे सं रिक्षत या आरिक्षत वनों की उपज सिहत खण् डीय वन पदािधकारी (वन मण् डलािधकारी) द्वारा नीलाम िकया जा सकेगा। जब यह व् यवः था सम् भव या उपयुक् त न हों, तो ये कलेक् टर द्वारा पृथक् से नीलाम की जा सकेगी।

6. यिद आरिक्षत/संरिक्षत वन उपज तथा राजः व िवभाग के अधीन वन की पैदावार का पट्टे द्वारा िवबय िकया गया हो, तो पट्टा िवलेख खण् डीय वन पदािधकारी (वन मण् डलािधकारी) द्वारा हः तािक्षरत होगा। यिद वन पैदावार को अलग से िवबय िकया गया हो तो पट्टा िवलेख कलेक् टर द्वारा हः तािक्षरत होगा।

7. ऐसे िवबयों से ूाप् त समः त धन शासकीय लेखे में राजः व के अधीन आकिलत िकया जायेगा। उन मामलों में जहाँ वन तथा राजः व िवभागों के अधीन, वन उपज या पैदावार का एकल पट्टा िदया गया हो, वहाँ वन तथा राजः व िवभाग के पट्टा धन के अंशों को खण् डीय वन पदािधकारी (वन मण् डलािधकारी) तथा कलेक् टर द्वारा परः पर अवधािरत िकया जायेगा, जो ूत् येक िवभाग के ूबन् ध के अधीन वन क्षेऽ के अनुपात में होगा।

8. वन का समायोजन िनम् निलिखत शतोर्ं के अधीन होगा, अथार्त् -

(क)(एक) ऐसा कोई वृक्ष नहीं काटा जायेगा, िजसकी पिरिध छाती ऊँचाई पर 22.5 से.मी. तक हो।

(दो) समः त वृक्ष यावत् सम् भव भूिम की सतह के िनकट काटे जायेंगे।

(तीन) िकसी भी वृक्ष की, न तो िचरान की जायेगी और न उन् हें कृत ः कन् ध (Pollard) िकया जायेगा।

(ख) वृक्षों की जड़ों को नुकसान नहीं पहुँचाया जायेगा।

(ग)(एक) दो वषर् सेकम के िकसी बाँस ूरोहों (बाँस िभड़ों) को काटकर िगराया नहीं जायेगा।

(दो) बाँस जमीन से एक फुट की ऊँचाई (पहले पौरे के ऊपर) से अिधक पर नहीं काटा जायेगा।

(तीन) ऐसे बाँस िभड़े में िजसमें दस के कम बाँस हो कटाई नहीं की जायेगी।

(घ) िनः तार पऽक के अनुसार काटी या कटाई जाने वाली वन उपज के अितिरक् त कोई भी वन उपज कलेक् टर की मन् जूरी के िबना काटी या ले जायी नहीं जावेगी।

(ङ) सूयार्ः त तथा सूयोर्दय के बीच कोई वनोपज नहीं ले जायी जायेगी।

(च) भारतीय वन अिधिनयम, 1927 के अधीन बनाये मध् यूदेश शािन्जट (फारेः ट ूोडयूज) रूल, 2000 तथा मध्यूदेश संबमण (वन उपज) िनयम, 1961 द्वारा अिधरोिपत िनयम द्वारा िनबन् धन वन उपज को ले जाने पर लागू होगा।

9. पटेल, पटवारी, कोटवार, राजः व िनरीक्षक या अन् य राजः व अिधकारी वनों से ले जाई गई वनोपज का परीक्षण कर सकेगा।

10. (1) कोई भी व् यिक्त, वन के िकसी भी भाग में आग नही लगायेगा तथा कोई भी व् यिक्त वन के सामीप् य में आग नहीं लगायेगा, िजससे िक उसमें पड़ी हुइर् िकसी इमारती लकड़ी या उसके िकसी भी वृक्ष को नुकसान पहुँचे।

(2) ऐसे ूत् येक व् यिक्त का, जो वन में िकसी अिधकार का ूयोग कर रहा हो, या िजसे वन से अपनी िनः तार आवँ यकताएँ पूरी करने या उसमें पशु चराने के िलये अनुज्ञा दी गई हो, यह कत् तर्व् य होगा िक वह वन में या उसके सामीप्

य में आग लगाने की घटना उसकी जानकारी में आये तो वह िनकटतम पटेल, पटवारी, या कलेक् टर को तत् क्षण सूचना दे और ऊपर नामांिकत माम पदािधकािरयों द्वारा ऐसा करने के िलए अपेिक्षत िकय जाये या नहीं -

(एक) ऐसी आग को बुझाने के िलये।

(दो) अपनी शिक्त के भीतर सभी वैध उपायों द्वारा ऐसे वन के सामीप् य में लगी ऐसी आग को वन में न फैलने देने के िलए ऐसे कदम उठायें।

11. जब िकसी राजः व अधिकारी को यह िवँ वास करने का कारण हो िक इन िनयमों के उपबन् धों के उल् लंघन में कोई वृक्ष काटा गया है, या वन से वनोपज या वन पैदावार ले जाई गई है, जो राजः व अधिकािरयों के आदेशों द्वारा या अधीन ऐसे वृक्ष, या वनोपज या वन पैदावार का अिभमहण िकया जा सकेगा, जहाँ राजः व पदािधकारी, उप-खण् डीय पदािधकारी को छोड़कर कोई अन् य पदािधकारी हो, पन् िह िदन के भीतर, ऐसे अिभमहण की िरपोटर्, उप-खण् डीय पदािधकारी (अनुिवभागीय अधिकारी, राजः व) को ऐसी कायर्वाही के िलये जो िक संिहता की धारा 253 के अधीन उिचत समझे, की जायेगी।

धारा 241. शासकीय वनों से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने के उपाय :

1. यिद राज् य शासन का यह समाधान हो जाये, िक िकसी शासकीय वन से इमारती लकड़ी की चोरी रोकने की दृिष्ट से, लोकिहत में यह आवँ यक है िक ऐसे वनों के पाँ वर्वतीर् िकसी भी क्षेS में समािवं ट गाँवों में, इमारती लकड़ी को िगराने तथा हटाने का िविनयमन िकया जाये तो राज् य शासन, राजपS में ू काश्शित अिधसूचना द्वारा ऐसे क्षेS को इस धारा के ूयोजनों के िलये अिधसूिचत क्षेS घोिषत कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन ूकािशत ूत् येक आदेश अिधसूिचत क्षेS में समािवं ट समः त गाँवों में िविहत रीित में उद्घोिषत िकया जायेगा।

(3) धारा 169 में अन् तिवर्ं ट िकसी बात के होते हुए भी, िकन् तु उपधारा (5) के उपबन् धों के अधीन रहते हुए, जब उपधारा (2) के अधीन िकसी भी गांव में आदेश उद्घोिषत िकया जा चुका हो, कोई भी व् यिक्त, िवबय के िकसी व् यवहार के अनुसरण में या व् यापार अथवा कारोबार के ूयोजनों के िलये, इस सम् बन् ध में बनाये जाने वाले िनयमों के अनुसार के अितिरक् त, न तो ऐसे गाँव के िकसी खाते में के िकसी इमारती वृक्ष को काटकर िगरायेगा और न िकसी वृक्ष के बलेवर को िकसी ऐसे खातों से हटायेगा।

1(4) कोई भी ऐसा व् यिक्त जो उपधारा (3) के या उसके अधीन बनाये गये िकसी भी िनयम के उपबन् धों का उल् लंघन करे या उल् लघंन करने की चें टा करे अथवा उल् लंघन को अिभूेिरत करे उसके िवरुद्ध की जाने वाली िकसी भी अन् य कायर्वाही पर ूित कूल ूभाव डालें िबना, सिबिडिवजनल आिफसर के िलिखत आदेश पर ऐसी शािःत का भुगतान करने का दायी होगा, जो पांच हजार रु. (5000/-) अधिक न हो, जो उसके द्वारा आरोिपत की जाये, और सिबडवीजनल ऑिफसर इस उपधारा के उपबन् धों के उल् लंघन में काटकर िगराये गये इमारती लकड़ी के िकन् हीं भी वृक्षों की जप् ती का भी आदेश दे सकेगा।

(5) उपधारा (3) तथा (4) की कोई भी बात, िकसी भी व् यिक्त द्वारा, अपनी भूिम से अपने वाः तिवक कृिष सम् बन् धी या घरेलू ूयोजनों के िलये, एक वषर् में 2 घ.मी. तक इमारती लकड़ी के वृक्ष काटकर िगराने या हटाने से लागू नहीं होगी, यिद काटकर ऐसा िगराया जाना या हटाया जाना अन् यथा इस संिहता के अन् य उपबन् धों के अनुसार हो।

1. म.ू. अिध. 19 वषर् 2001 जो म.ू. राजपS भाग 4 ग िद. 27.9.01 को ूकािशत।

अिधसूचना बमांक	अिधसूिचत क्षेS (तहसील) (तहसीलों के कुछ गाँव
(1) 3032/सात/ना/2 िद. 19.4.61	मुलताई, भैसदेही और बैतूल तहसीलों के कुछ माम।
(2) 3379/1591/सात/ना/2 िद. 16.5.61	देवास, कन् नौद, सोनकच् छ, बागली, खातेगाँव
(3) 3383/1591/सात/ना/2, 16.5.61 6649/3496/सात/20.10.61	होशंगाबाद, सोहागपुर, हरदा, िसवनी मालवा
(4) 5635/2450/सात/ना/2 िद. 7.8.61	िसहोरा, पाटन तहसील के गुछ गाँव
(5) 5748/5048/सात/ना/2 िद. 10.8.61	खुरई तहसील के कुछ गाँव
(6) 542/4210/सात/ना/2 िद. 12.2.62	मण् डला, िडंडोरी, िनवास के कुछ गाँव
(7) 6234/3688/सात/ना/2 िद. 12.11.62	नरिसंहपुर, गाडरवाड़ा
(8) 6236/1519/सात/ना/2 िद. 12.11.62	िछन् दवाड़ा, अमरवाड़ा, सौंसर
(9) 5353/4511/सात/ना/2 िद. 12.11.62	महेँ वर, बड़वाह, कसराबद, भीकनगाँव, राजपुर, खरगौन, सेन् धवा
(10) 6459/4319/सात/ना/2 िद. 26.11.62	पवई
(11) 6639/3990/सात/ना/2 िद. 1.12.62	भोपाल, (हुजूर), बेिरसया, इछावर, नसरूल् लागंज, आं टा, सीहोर, बुधनी तहसीलों के कुछ माम
(12) 345/5558/सात/ना/2 िद. 9.1.63	िनवाली, जतारा, टीकमगढ़ तहसीलों के कुछ माम
(13) 7199/5295/सात/ना/2 िद. 28.12.62	मनासा, भानपुरा, रतलाम, सैलाना के कुछ माम
(14) 1009/218/सात/ना/2 िद. 16.1.63	जबलपुर तहसील के कुछ गाँव
(15) 380/64/सात/ना/2 िद. 28.1.63	सागर, बन् डा, रुहेली के कुछ गाँव

(16) 497/158/सात/ना/2 िद. 4.2.63	गोपद वनास, देवसर, िसंगरौली के कुछ गाँव
(17) 1285/217/सात/ना/2 िद. 27.2.73	अनुबमांक (6) मण् डला, िडंडोरी िनवास तहसील के और गाँव
(18) 2585/217/सात/ना/2 िद. 27.2.73	खण् डवा, बुरहानपुर, हरसूद तहसील के और गाँव
(19) 2536/2018/सात/ना/2 िद. 27.4.63	िसवनी, लखनादोन के कुछ गाँव
(20) 3746/507/सात/ना/2 िद. 6.4.64	मैहर तहसील के कुछ गाँव
(21) 3951/1496/सात/ना/2 िद. 17.4.64	मुरवारा तहसील के कुछ गाँव
(22) 4135/2043/सात/ना/2 िद. 30.4.64	वृन् दानवागढ़ तहसील के कुछ गाँव
(23) 7067/5598/सात/ना/2 िद. 24.12.63	बीजाराव, छतरपुर तहसील के कुछ गाँव
(24) 1178/7000/सात/ना/2 िद. 13.2.64	हट्टा तहसील के कुछ गाँव
(25) 8645/5652/सात/ना/2 िद. 18.11.64	सीधी िजले की देवसर तहसील तथा िसंगरौली सहसील के कुछ गाँव
(26) 8941/5606/सात/ना/2 िद. 4.12.64	दितयातथा सेवड़ा तहसील के कुछ माम
(27) 8943/5606/सात/ना/2 िद. 4.12.64	िशवपुरी, कोलारस, करेरा, पोहरी तहसील के कुछ माम
(28) 213/6220/सात/ना/2 िद.	िभण् डतथा गोहद तहसील के कुछ माम
(29) 470/256/सात/ना/2 िद. 30.1.65	सेमरी, पाल, बैकुण् ठपुर, मनेन् िगढ़
(30) 3880/1013/सात/ना/2 िद. 15.7.65	सागर, रहली, बण् डातहसील के और माम
(31) 4048/2245/सात/ना/2 िद. 29.7.65	थांदला, जोबट, अलीराजपुर झाबुआ तहसील के कुछ माम
(32) 7296/7152/सात/ना/2 िद. 5.10.66	रीवा िजले की त् योथर, िसरमौर, मउगांज, हुजूर तहसील बैतूल, मुलताइर्, भैसदेही तहसील के और माम
(33) 1234/सात/ना/2 िद. 17.7.69	बालौद बालाघाट, बैहर तहसीलों के और माम जोड़े गये
(34) 3242/1121/सी/एन/2(1) िद. 21.7.69	बालाघाट बैहर तहसीलों के और गाँव
(35) 1818/4380/सात/एन/एक	देपालपुर, इन् दौर, मऊ तहसील के कुछ माम

नोट - इस धारा में इमारती लकड़ी के वृक्ष िदये हैं उपका तात् पयर् संिहत की धारा 2(र) में िदये इमारती लकड़ी के वृक्ष से है। वे िनम् न हैं -

(1) सागवान (2) बीजा (3) शीशम (4) साल (5) साज (6) ितनसा (7) चन् दन।